रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1951] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/आषाढ 6, 1941
No. 1951] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ ASHADHA 6, 1941

IndianCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

का.आ. 2165(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 229 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य जिसे इसमें इसके पश्चात अभयारण्य कहा गया है मिजोरम के लुंगलेई जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 180.0 वर्ग किलोमीटर है;

और, यह अभयारण्य उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की जलवायु उप-उष्णकटिबंधीय है। यहाँ वार्षिक वर्षा औसत 1700 मि.मी. से 3900 मि.मी. है। घाटियों और तलहटियों के अलावा यहाँ का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। यहाँ 70% ढलान और खड़े ढलान हैं और 30% सामान्य ढलान रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानों वाले हैं;

और, इस अभयारण्य के पारिस्थितिकी, वानस्पतिक, जीवजन्तु संबंधी और प्राकृतिक महत्व के कारण और वन्यजीवों एवं इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता को देखते हुए मिजोरम राज्य सरकार द्वारा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन अधिसूचना सं. बी.12012/24/2014-एफएसटी, दिनांक 2 नवम्बर, 2015 के द्वारा इसे अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, अभयारण्य अत्यधिक जैव विविधता समृद्ध है, और कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक प्रजातियों का आश्रय और संरक्षण स्थल है;

और, अभयारण्य वनस्पतियों की लगभग 48 प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय देता है जिनमें 32 वृक्ष प्रजातियां, 9 झाड़ी प्रजातियां, 2 बांस और रॅतन प्रजातियां और 5 ऑर्किड प्रजातियां सम्मिलित हैं। 32 वृक्ष प्रजातियों में अर्डा (*पिथेकोलॉबियम बिगेमिनम*), खावीतर (*ड्रायप्ट्स लैंकीफोलिया*), सपर (*लिंडरा नेकुसुआ*), टायर (*सैरानिया पुंडुआना*), थिंगप्यूथिंग (*लिथोकारपस एलिगेंस*), सापुट (*रैन्डिया वालिची*), थिंगसिया (*क्रास्टानोपसिस लैंसेफोलिया*), देन (*क्लार्कस हेलिफेरियाना*), हर्से (*मेसुआ फेरेआ*), तेई पुई (*तुना सिलिएट*), थकथिंग (*सिनामोमम वर्म*), सेंटीजेल (*कैलॉफिलेम पेलीथुम*), थिंग्लुंग (*एलाकोकार्पस फ्लोरिबुन्डस*), नेल्छचुन (*एरियोबोट्रिया बेंगलेंसिस*), टेस्पाटा (*सिनामोमम तमला*), जथुहांग (*पॉलिलिथिया जेनकिन्सी*), थिंगथुपुइ (*डायोएक्सिलियम गोबारा*), थेई केल एक (*एल्युओकार्पस एरिटाटस*), हन्ना थाप पा (*कोलोनाफला ग्रोकापी*), चार (*टर्मिनलिया मेरिओकापी*), मौल्हाविह (*सरका एसोका*), पा खाट (*एक्टिनोडापहे-ओडोराटा*), सुक्टलॉन्ग (*ममेया सुरिगा*), हमर हलेंग (*स्टैरैक्स सरीरुलाटुम*), लेंनमुई (*साइज़ीयम कुमिनी*), थेई कुम (*डायोस्पीरोज़ मलाबेरिका*), थिहेलेई खाक (*अमूरो चित्तागोंगा*), बेराव (*कैनेरियम स्ट्रीकटम*), बनफ़र (*एन्थोसेफ्लुस चिनेससिस*), थिंगखिम (*एसर लाविगैटम*) , हैफावंग (*मंगिफेरा सिल्वाटिका*) और तुइराम (टर्मिनलिया क्रेनुलाटा) शामिल हैं। 9 झाड़ी प्रजातियों में झॉन्गेंवाहुलंग (*अल्चोर्निया टीलियाफ़ोलिया*), फाकटेल (*ब्रैडेलिया मोनोईका*), केल्टेबेंगबेह (*तबेरनेरामोंटाना डिवरीकेटा*), पेल (*ग्रटम गेन्नमोन*), अरंगेंग (*मेसा इंडिका*), कावलकर (*लीआ इंडिका*), छवातन (*फेजरलिन्डिया फासीक्यूलेट*), लम (*मोरिंडा एग्स्टिफ़ोलीया*) और नूनूर (अर्दिसिया पैनिकुलाटा) शामिल हैं। बांस की 2 प्रजातियों में माउ ताक (*मेलोकाना बासीफेरा*) और सिरील (*डिनोचलोआ कैम्पैक्टफ्लोरा*) शामिल हैं। ऑर्किड की 5 प्रजातियों में सेनहरी (*रेणेंथेरा इम्स्चुतियाना*), बान सेई/लाईहैंग (*डेंड्रोबियम फ़िम्ब्रियाटम*), लाह लेई (*वांडा कोरुले*), नाउबान पर वर (*कोलॉजीने निटिडा*) और नाउबान-नवी-नाक (*प्लेयोन प्रैक्स*) शामिल हैं;

और, यह अभयारण्य 18 जीव प्रजातियों का शरण स्थल है यहां 4 मांसाहारी प्रजातियां, अनगलित की 2 प्रजातियां, 3 सर्वाहारी प्रजातियां, 4 प्राइमेट प्रजातियां और स्तनधारियों की तीन अन्य छोटी प्रजातियां पायी जाती हैं जिनमें सामान्य तेंदुआ (*पैन्थेरा पार्डस*), गोल्डन बिल्ली (*कैटपूमा टेंमिन्की*), जंगल बिल्ली (*फेलिस चॉस*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनायलुरस बेंगालेंसिस*), मुंजक (*मुनटिकस मुंटजैक*), सेरो (*नामोरहेडस सुमात्रांसिस*), एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटनस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), जंगली कुत्ता (*क्यूओन अल्पाइंस*), कैप्ड लंगुर-नगौ (प्रेस्बिटीस पिलेटस, हूलॉक गिब्बन-हौहुक- (*हीलोबेट हूलॉक*), स्लो लोरियां (निक्टिकेबस बेंगालेंसिस), फैरेस लिफ बंदर (*ट्रैक्टीपिटेकस पाइलैटस*), हिमालयन क्रेस्टलेस साही-साकुह (*हाइस्ट्रीक्स ब्राच्यूरन*) मलायना विशालकाय गिलहरी-अतारंग (*रतुफा बाकोलोर*), हिमालयन धारीदार गिलहरी (*टेमीओप्स मैकक्लेलैंडी*), माउंटेन कछुआ (*मनोरिया एमीज़*) और बरमेसे पायथन (पायथन मोलुर्स) शामिल हैं;

और, यह अभयारण्य पक्षियों से भी समृद्ध है और 38 प्रमुख पक्षी प्रजातियों को आश्रय देता है जिनमें तहहेक-ब्लैक चिन्नड यूहिना (*युहिना निग्रिमेंटा*), देईकत-गोल्डन हेडर्ड टेलरबर्ड (*ऑर्थोटॉमस क्यूकुलेटस*), थ्लेकबुर-लार्ज वुड लहटोरा (*टेफ्रोडोर्निस वीरगाटस*), बाउंग-येलो थ्रोटेड मिनेवेट (*पिक्निक्रोकस सोलरिस*), इरललिक/बावंगप्यूई-बड़े कोयल-लहटोरा (*कोरासिना नोवे-हॉलैंडिया*), थ्लोहसाई-ग्रेट स्लेटी कठफोड़वा (*मुलरिपिकस पेल्वरुलेंटस*), सुकलेट-वेलवेट-फ्रंटेड नटहैटच (*सिटा फ्रॉर्टलिस*), सुकलेट-व्हाईटबेटेटेड नटहैटच (*सिता हिलायनसिस*), लुआंगट्यूउबु-स्पीलेट पिकलेट (*पिकमुस इनोमिनेटैटस*), वसीर-ग्रे सिबिआ (हेटोरोफैसिया ग्रासिलिस), ज़ोवा-स्ट्रीप्ड लाफिंग थ्रस (*गरलुलेक्स वर्गाटास*), वाबक-हॉजसन के फ्रोगमाउथ (*बैट्रेचेस्टोमस हॉजसॉनी*), ज़ोचिपुइ-ग्रे विंगेड ब्लैकबर्ड (*टर्डस बुलबुल*), टेप-हिमालयन ग्रीन फिंच (*कार्डुएलिस*

स्पिनॉयड), हन्नाफ़न-गोल्डन हेडेड टेलोर बर्ड (*ऑर्थोटॉमस कुक्कुललस*) तहांगै-बे उल्लू (फोडीलस बैडीस), हम्ंचहे-अरप्यूई पिग्मी ब्रेन-बब्बलर (*नोएपेगा प्यूज़िला*), वलांबॉक-ग्रेट एरेड मोजेर्जर (*यूरोस्टोपोगस मैक्रोटीस*), लेन्डर-एशी स्वालौव-लहटोरा (*एटामास फ्यूस्कस*), वामूर-पाम शिफ्ट (*साइप्सियसस पैरावस*) , काव्लॉक-ब्रेथेड हॉर्नबिल (*रीयटीसेरस अनडुलाटेस*), बरसू-ग्रे वेगटेल (*मोटासिला सिनेरेआ*), सेहनुंगज़ूई-वन वेगटेल (*मोटाकिला इंडिका*), वेरालथी-रेड हेडेड ट्रोगोन (*हार्पैक्ट्स इरिथ्रोसेफालस*), थिज़िल-लोंगटेल ब्रॉडबिल (*साइरिसोमस डलहास्य*), वेहनग्लै-ग्रे हेडेड पैरोटबिल (*पैराडोक्सोर्निस गुलारिस*), कोरो-व्हाईट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस (*गाररुलैक्स लेउकोफस*), चिंगपिरिनु-ब्राउन लकड़ी उल्लू (स्ट्रिक्स लेप्टोग्रामिका), वाहिमिम-लिटिल बटंगुइल (*टर्निक्स सिल्वाटीका*), ल्लाकवरह-ब्लू बियरडेड बी ईटर (*नीक्ट्योरोनीस एथर्तोनी*), चहेमहूर-ग्रे बैकर्ड लहटोरा (*लानीस टेफ्रोनोटस*), चुआक-जंगल गाय (*कोर्वस मैकक्रोहेंचेस*), छिंबुकुई-वन गरुड़ उल्लू आउल (*बुबु निपलेंसिस*), मुहिया-लार्ज इंडियन काईट (*मिल्वस माइग्रेंस*) थेंगवहरबिह-सिलवर्ड ईर्ड मेसिया (*लेओथ्रिक्स आर्जेन्टॉरिस*), चेंजसेन-मारुन ओरिओल (*ओरियोलस ट्रेलिली*), ज़ोचाचन-ग्रीन कोकोआ (कोकोआ वायरिडिस) और थ्लैपाव-ग्रे ड्रॉन्गो (*डिकरुरुस ल्यूकोफेकस*) शामिल हैं;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवों की 18 स्थानिक प्रजातियां रहती हैं जिनमें *मिशेलिया चमपाका*, *क्रार्सस एसपीपी*, *हाइडनोकारपस कुर्जिल*, *लिंडरा निकुसूआ*, *टूना सिलिएट*, *सिनामोमम वेरुम*, *डायोक्सिलियम गोबारा*, *फ़िलांथस इम्ब्लिका*, *मेलोकेन्ना बासीफेरा*, हुलांक उतक, कैप्ड लंगुर, सांभर, मुंजक, सामान्य तेंदुआ, बरर्रमेसे अजगर, धनेश, लाल जंगल मुर्गा और सामान्य भारतीय चूहे साँप आदि शामिल हैं;

और, यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार की सीमित वनस्पति, जीवजन्तुओं और पक्षी-जीवों का वास है और यह मिजोरम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीव की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय प्रदान करता है;

और, थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2), उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य में थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 53.07 वर्ग किलोमीटर है, को थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं:-** (1) थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित 53.07 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन होगा ।

(2) थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** में दी गई है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और

IndiaCode

राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग;
(xii) राजमार्गो;और
(xiii) मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

IndiaCode

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणिया
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।

Indiacode

12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संविधान**	**पद**
(i)	संबंधित उपायुक्त	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(viii)	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xi)	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;

(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xv)	प्राकृतिक संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे मिजोरम सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव-विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xix)	संबंधित उप-वन संरक्षक/ प्रभागीय वन अधिकारी	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/18/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: यह सीमा मर लुई (92°27'41.28"पू, 23°23'48.198"उ) से आरंभ होकर अभयारण्य की सीमा से 600 मीटर दूर तक विस्तृत है। यह सेकैम लुई के साथ पूर्व की ओर जाकर तुत लुई (92°33'49.675"पू, 23°22'26.454"उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 600 मीटर दूर जवेलपुई लुई की शुरुआत से तुत लुई तक है।

पूर्व: तुत लुई से पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर की ओर 800 मीटर तक विस्तृत है और तुईदम लुई (92°34'43.744"पू, 23°20'14.488"उ) को पार करके और तुत लुई के साथ जाती है और तुईथुर लुई को पार करके लौंगपाव लुई(92°30'9.266"पू, 23°14'8.436"उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 800 मीटर दूर तुत लुई से लौंगपाव लुई तक है।

दक्षिण: लौंगपाव लुई से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तुत लुई के साथ 500 मीटर तक विस्तृत है और सेथला लुई के साथ कौ लुई को पार करती है और बेतियांग लुई (92°31'15.976"पू, 23°12'43.466"उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर दूर लौंगपाव लुई से बेतियांग लुई तक है।

पश्चिम: यह बेतियांग लुई से पोलेहैलैंग लुई (92°30'9.266"पू, 23°14'8.436"उ) और दाईदुक लुई को पार करके उत्तर की ओर जाती है और यह लंगफम लुई (92°29'24.061"पू, 23°17'38.398"उ) के साथ जाती है और ज़ागगेक लुई की ओर जाकर और यह तुईखवी लुई के साथ अभयारण्य सीमा के साथ बाहर की ओर जाती है और सेतैल लुई (92°28'57.479"पू, 23°17'19.434"उ) और नुथलवी लुई (92°28'2.185"पू, 23°18'11.775"उ) को पार करती है। यह मर लुई के साथ उत्तर की ओर जाती है तथा हौहुक लुई को पार करके 500 मीटर दूर जहाँ मर लुई और जवलपुई लुई मिलती है। बेतियांग लुई से मर लुई और जवलपुई लुई के जोड़ बिंदु तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर से 800 मीटर तक विस्तृत है।

उपाबंध-II

भू स्थिति प्रणाली की दृष्टि से थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उत्तर) (डिग्री मिनट सैकेंड प्रारुप)	देशांतर (पूर्व) (डिग्री मिनट सैकेंड प्रारुप)
1	उत्तर	23°23'37.694" उ	92°28'17.388" पू
2	दक्षिण-पूर्व	23°14'36.644" उ	92°37'3.751" उ
3	दक्षिण	23°12'19.563" उ	92°35'16.909" उ
4	उत्तर-पश्चिम	23°21'52.333" उ	92°27'19.842" उ

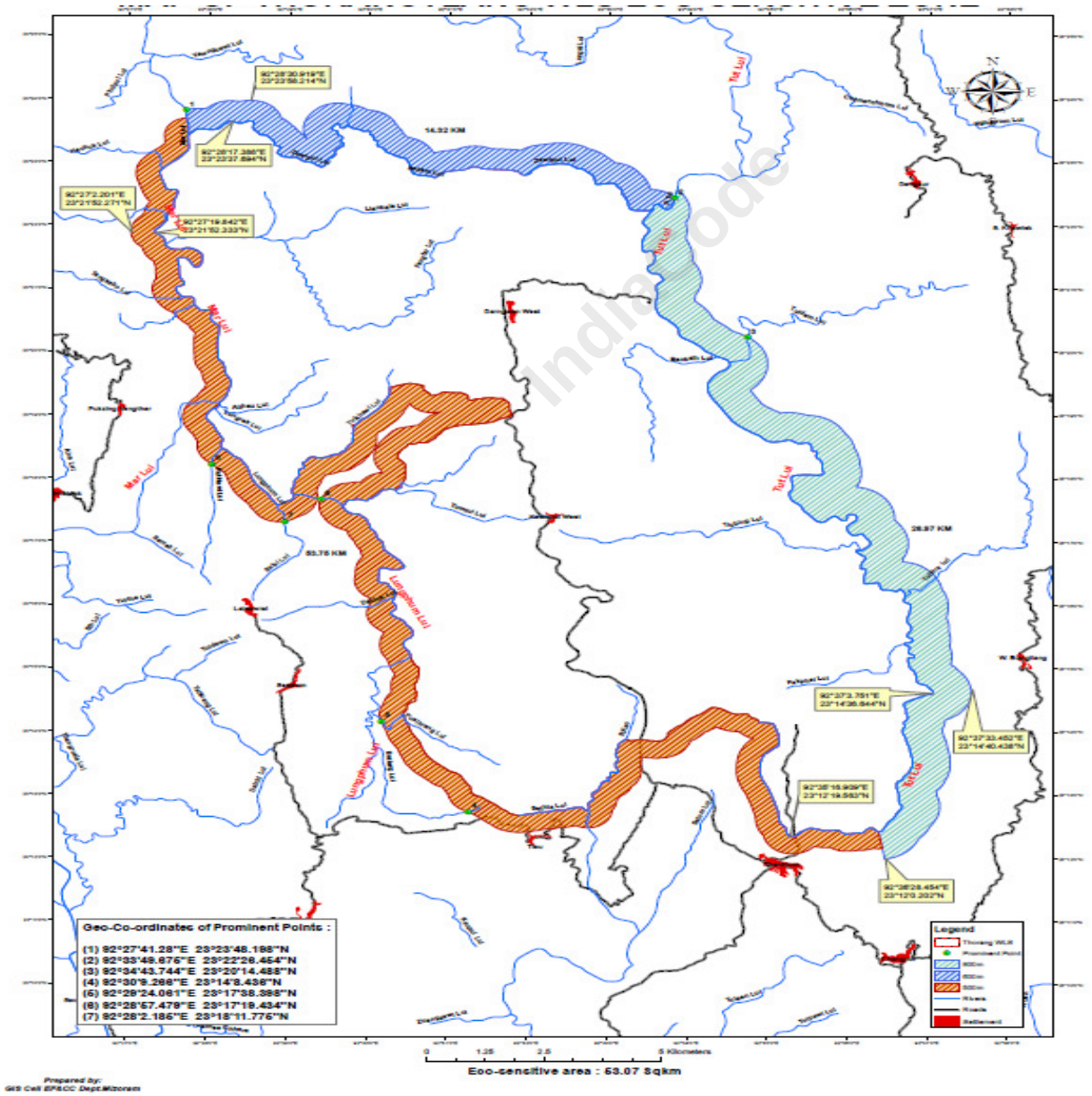
ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	मर लुई	23º23’48.198”उ	92º27’41.280”पू
2	उत्तर-पूर्व	तुत लुई	23º22’26.454”उ	92º33’49.675”पू
3	पूर्व	तुईडैम लुई	23º20’14.488”उ	92º34’43.744”पू
4	दक्षिण	बेतियांग लुई	23º12’43.466”उ	92º31’15.976”पू
5	दक्षिण-पश्चिम	पुआलहरैंग लुई	23º14’8.436”उ	92º30’9.266”पू

6	पश्चिम	लुंगफुम लुई	23º17'38.398"उ	92º29'24.061"पू
7	पश्चिम	सैतेल लुई	23º17'19.434"उ	92º28'57.479"पू
8	पश्चिम	नुथलावी लुई	23º18'11.775"उ	92º28'2.185"पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध -IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

S.O. 2165(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 229 (E), dated the 15th January, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 15th January, 2018;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the said draft notification;

AND WHEREAS, the Thorangtlang Wildlife Sanctuary is situated at Lunglei District in Mizoram covering an area of 180.0 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary falls within the sub-tropical region and enjoy sub-tropical climate with annual rainfall ranging from 1700 mm to 3900 mm, most of the area is hilly terrain, except the valleys and foothills, with 70% steep to very steep slopes and 30% of gentle slope with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Sanctuary was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) *vide* Notification No.B.12012/24/2014-FST, dated the 2nd November, 2015;

AND WHEREAS, the Sanctuary is tremendously rich in biodiversity, and provides shelter and protection to many rare, endangered and threatened (RET) and endemic species;

AND WHEREAS, the Sanctuary conserves and supports about 48 species of flora including 32 tree species, 9 shrub species, 2 species of bamboo and rattans, and 5 species of orchids; the 32 tree species include Arda (*Pithecolobium*

bigeminum), Khawitur (*Dryptes lancifolia*), Saper (*Lindera nacusua*), Tiar (*Saurania punduana*), Thingpuithing (*Lithocarpus elegans*), Saphut (*Randia wallichi*), Thingsia (*Castanopsis lanceafolia*), Then (*Quercus helferiana*), Herhse (*Mesua ferrea*), Tei pui (*Toona ciliate*), Thakthing (*Cinnamomum verum*), Sentezel (*Calophyllum palyanthum*), Thinglung (*Elacocarpus floribundus*), Ngalhchhun (*Eriobotrya bengalensis*), Tespata (*Cinnamomum tamala*), Zathuhang (*Polyalthia Jenkinsii*), Thingthupui (*Dysoxylum Gobara*), Thei kel ek (*Elaeocarpus aristatus*), Hnah thap pa (*Colonafla grocarpa*), Char (*Terminalia myriocarpa*), Mualhawih (*Saraca asoca*), Pa khat (*Actinodaphe-odorata*), Suktlawng (*Mammea suriga*), Hmar hleng (*Styrax serrulatum*), Lenhmui (*Syzygium cumini*), Thei kum (*Diospyros malabarica*), Theihlei khak (*Amoora chittagonga*), Beraw (*Canarium strictum*), Banphar (*Anthocephalus chinensis*), Thingkhim (*Acer laevigatum*), Haifavang (*Mangifera sylvatica*) and Tuairam (*Terminalia crenulata*). The 9 shrub species include Zawngtenawhlung (*Alchornea tiliaefolia*), Phaktel (*Bridelia monoica*), Keltebengbeh (*Tabernaemontana divaricata*), Pelh (*Gnetum gnemon*), Arngeng (*Maesa indica*), Kawlkar (*Leea indica*), Chhawntan (*Fagerlindia fasiculate*), Lum (*Morinda Angustifolia*) and Naunuar (*Ardisia paniculata*); the 2 species of bamboo include Mau tak (*Melocanna baccifera*) andSairil (*Dinochloa campactiflora*); and the 5 species of orchids include Senhri (*Renanthera imschootiana*), Ban sei/Laihang (*Dendrobium fimbriatum*), Lawh lei (*Vanda coerulea*), Nauban par var (*Coelogyne nitida*) and Nauban-nawi-nawk (*Pleione praecox*);

AND WHEREAS, the Sancturay supports 18 fauna species including 4 species of carnivores, 2 species of ungulates, 3 omnivores species, 4 species of primates and 3 other species of small mammals including common Leopard (*Panthera paradus*), Golden cat (*Catpuma temmincki*), Jungle cat (*Felis chaus*), Leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Serow (*Naemorhedus Sumatraensis*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Jackal (*Canis aureus*), Wild dog (*Cuon alpines*), Capped langur-Ngau (*Presbytis pileatus*, Hoolock gibbon-Hauhuk- (*Hylobate hoolock*), Slow lorries (*Nycticebus bengalensis*), Phayre's leaf monkey (*Trachypithecus pileatus*), Himalayan Crestless porcupine-Sakuh (*Hystrix brachyuran*), Malayan giant squirrel-Awrrang (*Ratufa bicolor*), Himalayan stripped squirrel (*Tamiops macclellandi*), Mountain Tortoise (*Manouria emys*) and Burmese Python (*Phyton molurus*);

AND WHEREAS, the Sanctuary is rich in avifauna and supports 38 important birdspecies like Tehhek-Black chinned Yuhina (*Yuhina nigrimenta*), Daikat-Golden Headed Tailorbird (*Orthotomus cucullatus*), Thlekbur-Large wood Shrike (*Tephrodornis virgatus*), Bawng-Yellow throated Minivet (*Piricrocotus solaris*), Irliak/Bawngpui-Large cuckoo-Shrike (*Coracina novae-hollandiea*), Thlohsai-Great Slaty Woodpecker (*Mulleripicus pulverulentus*), Suklet-Velvet-fronted Nutchatch (*Sitta frontalis*), Suklet-Whitetailed Nutchatch (*Sitta himalayansis*), Luangtubeuh-Speclet Piculet (*Picummus innominatus*), Vasir-Grey Sibia (*Heterophasia gracilis*), Zova-Striped laughing thrush (*Garrulax virgatus*), Vabak-Hodgson's Frogmouth (*Batrachestomus hodgsoni*), Zochippui-Grey winged Blackbird (*Turdus bulbul*), Tep-Himalayan Green finch (*Carduelis spinoides*), Hnahfun-Golden headed Tailor Bird (*Orthotomus cuccullatus*), Tahngai-Bay Owl (*Phodilus badius*), Hmunchhe-Arpui Pigmy Wren-Babbler (*Pnoepyga pusilla*), Valambawk-Great eared Mightjar (*Eurostopodus macrotis*), Lengder-Ashy swallow-shrike (*Artamus fuscus*), Vamur-Palm shift (*Cypsiurus parvus*), Kawlhawk-Wreathed hornbill (*Rhyticerus undulates*), Bursu-Grey wagtail (*Motacilla cinerea*), Sehnungzui-Forest wagtail (*Motacilla indica*), Varalthi-Red headed Trogon (*Harpactes erythrocephalus*), Thizil-Longtailed Broadbill (*Psarisomus dalhousiae*), Vahnanghlai-Grey headed Parrotbill (*Paradoxornis gularis*), Koro-White crested laughing thrush (*Garrulax leucolophus*), Chingpirinu-Brown wood owl (*Strix leptogrammica*), Vahmim-Little buttonguail (*Turnix sylvatica*), Tlakawrh-Blue bearded Bee eater (*Nyctyornis athertoni*), Chhemhur-Grey backed shrike (*Lanius tephronotus*), Choak-Jungle cow (*Corvus macrorhynches*), Chhimbukpui-Forest Eagle Owl (*Bubo nipalensis*), Muchhia-Large Indian Kite (*Milvus migrans*), Thlangvaharbeh-Silvered eared Mesia (*Leiothrix argentauris*), Changsen-Maroon Oriole (*Oriolus trailii*), Zovachan-Green Cochoa (*Cochoa viridis*) and Thlapawl-Grey Drongo (*Dicrurus leucophaecus*);

AND WHEREAS, the Sanctuary also have 18 endemic species of flora and fauna including *Michelia champaca*, *Quercus* spp, *Hydnocarpus kurzil*, *Lindera nacusua*, *Toona ciliate*, *Cinnamomum verum*, *Dysoxylum gobara*, *Phyllanthus emblica*, *Melocanna baccifera*, Hoolock gibbon, Capped langur, Sambar, Barking deer, Common leopard, Burmese python, Hornbill, Red jungle fowl and Common Indian rat snake;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of confined flora, fauna and avifauna, and provides protection and shelter to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Thorangtlang Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.5 kilometres to 0.8 kilometres around the boundary of Thorangtlang Wildlife Sanctuary, in Lunglei districts in the State of Mizoram as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 53.07 square kilometers with extent varying from 0.5 km to 0.8 km around the boundary of Thorangtlang Wildlife Sanctuary in Mizoram State as the Thorangtlang Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be shall be 53.07 square kilometres with extents varying from 0.5 kilometres to 0.8 kilometres around the boundary of the Thorangtlang Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone around Thorangtlang Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.

(3) The coordinates of the Thorangtlang Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-II**.

(4) The map of Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department;
(xii) Highways; and
(xiii) Mizoram State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

India Code

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

IndiaCode

(13) E-waste. - The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner concerned	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Land Revenue and Settlement Department	Member;
(iii)	Representative of Rural Development Department	Member;
(iv)	Representative of Agriculture Department	Member;
(v)	Representative of Local Administration Department	Member;
(vi)	Representative of Public Works Department	Member;
(vii)	Representative of Public Health Engineering Department	Member;
(viii)	Representative of Fishery Department	Member;
(ix)	Representative of Industries Department	Member;
(x)	Representative of Police Department	Member;
(xi)	Representative of Power and Electricity Department	Member;
(xii)	Representative of Animal Husbandry and Veterinary Department	Member;
(xiii)	Representative of Soil and Moisture Conservation Department	Member;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(xv)	Representative of non-Governmental organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
(xvii)	One expert in ecology from a recognised institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xviii)	One expert in biodiversity from a recognised institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xix)	Concerned Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/18/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND THORANGTLANG WILDLIFE SANCTUARY

NORTH: Starting from Mar lui (92°27'41.28"E, 23°23'48.198"N) extending up to 600 meters away from the sanctuary boundary it goes east ward along Sekam lui meeting Tut lui (92°33'49.675"E, 23°22'26.454"N). The width of the Eco-Sensitive Zone from the origin of Zawlpui lui to Tut lui is 600 meters away from the Sanctuary boundary.

EAST: From Tut lui the Eco-Sensitive Zone boundary extend to 800 meters going North and crosses Tuidam lui (92°34'43.744"E, 23°20'14.488"N) and going along Tut lui and crossing Tuithur lui and meets Luangpaw lui (92°30'9.266"E, 23°14'8.436"N). The width of the Eco-sensitive Zone from Tut lui to Luangpaw lui is 800 meters away from the Sanctuary boundary.

SOUTH: From Luangpaw lui the Eco-Sensitive Zone boundary goes along Tut lui at an extend of 500 meters and crossing Kau lui going along Sethla lui and meets Betiang lui (92°31'15.976"E, 23°12'43.466"N). The width of the Eco-sensitive Zone from Luangpaw Lui to Betiang lui is 500 meters away from the Sanctuary boundary.

WEST: From Betiang lui it goes North crossing Pualhrang Lui (92°30'9.266"E, 23°14'8.436"N) and Daiduk Lui and it goes along Lungphum Lui (92°29'24.061"E, 23°17'38.398"N) and goes in towards Zawngek Lui and the it curves out along the sanctuary boundary along Tuikhawi Lui and cross Satel lui (92°28'57.479"E, 23°17'19.434"N) and Nuthlawi Lui (92°28'2.185"E, 23°18'11.775"N) it goes North along Mar Lui and crosses Hauhuk Lui and meets where Mar lui and Zawlpui Lui Join at 500 meters. The width of the Eco-Sensitive Zone from Betiang Lui to the joining point of Mar Lui and Zawlpui Lui is 500 meters away from the Sanctuary Boundary.

The width of the Eco-Sensitive Zone varies from 500 meters to 800 meters from the Sanctuary boundary.

ANNEXURE-II

COORDINATES OF THE THORANGTLANG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN TERMS OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM

A. GEO-COORDINATES OF THEPROTECTED AREA BOUNDARY

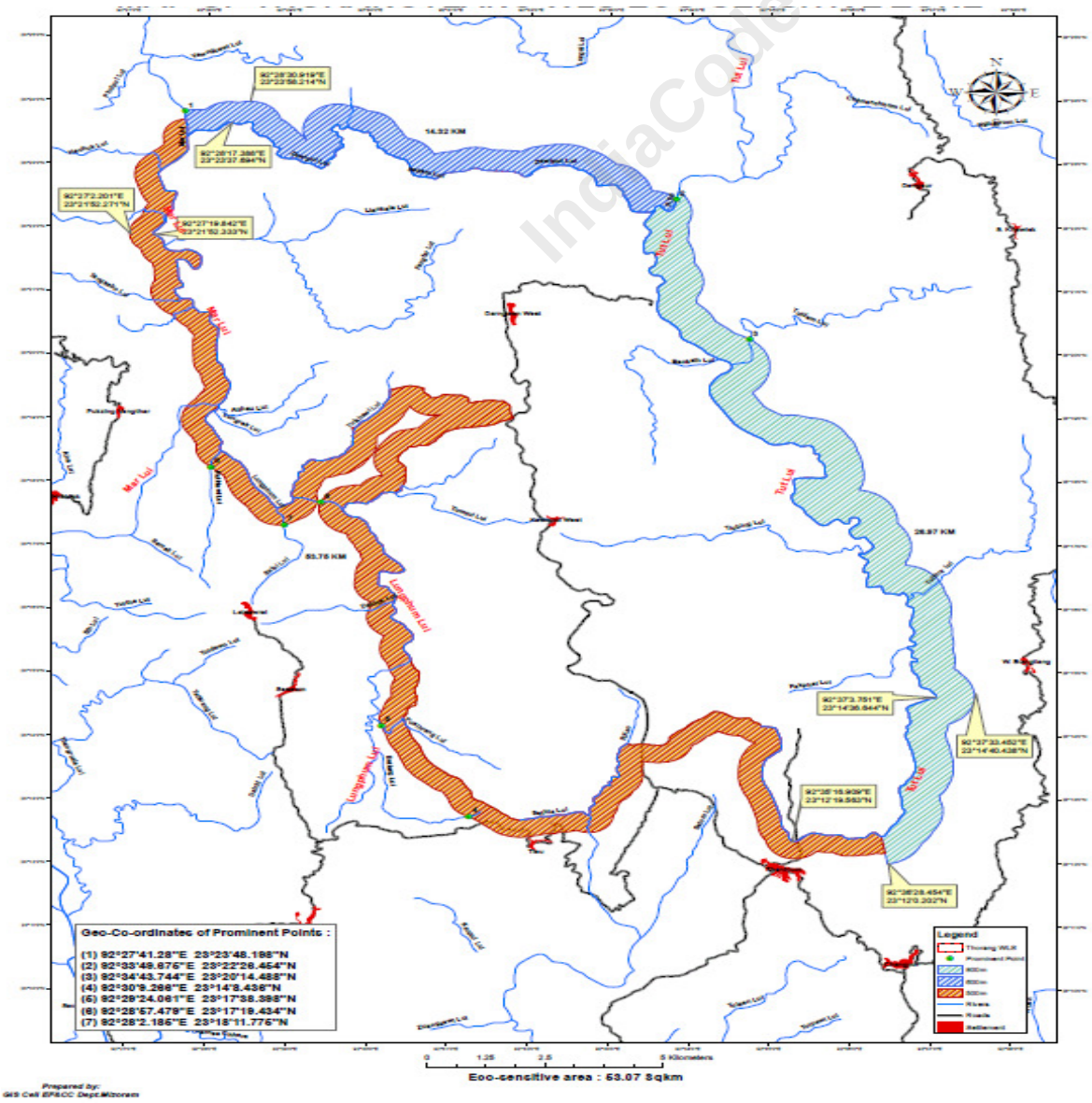
Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (North) (Degree Minute Second Format)	Longitude (East) (Degree Minute Second Format)
1	North	23°23'37.694"N	92°28'17.388"E
2	South-East	23°14'36.644"N	92°37'3.751"E
3	South	23°12'19.563"N	92°35'16.909"E
4	North-West	23°21'52.333"N	92°27'19.842"E

B. GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Location/ Direction of Prominent point	Prominent point	Latitude (North) (Degree Minute Second Format)	Longitude (East) (Degree Minute Second Format)
1	North	Mar Lui	23°23'48.198"N	92°27'41.280"E
2	North-East	Tut Lui	23°22'26.454"N	92°33'49.675"E
3	East	Tuidam Lui	23°20'14.488"N	92°34'43.744"E
4	South	Betiang Lui	23°12'43.466"N	92°31'15.976"E
5	South-West	Pualhrang Lui	23°14'8.436"N	92°30'9.266"E
6	West	Lungphum Lui	23°17'38.398"N	92°29'24.061"E
7	West	Satel Lui	23°17'19.434"N	92°28'57.479"E
8	West	Nuthlawi Lui	23°18'11.775"N	92°28'2.185"E

ANNEXURE-III

MAP OF THE THORANGTLANG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES



ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.29 16:53:56 +05'30'